न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी अर्चना बुगालिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/11/2023 — दायर दिनांक 27.02.2023

उनवान

1. भूपेन्द्र अहीर पुत्र स्व0 श्रीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. रीना पुत्री स्व0 श्रीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. शान्ता देवी पत्नी स्व0 श्रीलाल जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. चांदी देवी पुत्री स्व0 किशना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. नारू अहीर पुत्र स्व0 किशना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. मांगी बाई पत्नी स्व0 किशना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. माधवलाल पुत्र स्व0 किशना जाति अहीर आयु वयस्क निवासी मुंगाना तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

——अप्रार्थीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 :—

बाबत् अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 06.07.2023

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि0एक्ट के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा मुंगाना तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 1162, 1365, 1367, 1368, 1371, 1379, 1462, 1463, 1468, 1469, 1472, 3157, 3297, 3298, 3299, 3455, 3628, 3631, 3632, 4392, 4444 कुल किता 21 कुल क्षैत्रफल 7.14 है0 हैं जिसमें प्रार्थीगण का 1/15—1/15 हक हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है। साथ ही विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 तक का 1/5—1/5 हक हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड हैं इसके प्रमाण में खाता नकल की प्रमाणित प्रति पेश है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात का प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 तक के मध्य विभाजन नहीं हो रखा हैं तथा आराजी अविभाजित हो संयुक्त खातेदारी में चली आ रही हैं आराजीयात अविभाजित होने से पक्षकारान के मध्य आये दिन सीमा संबंधी विवाद बना रहता हैं तथा आराजीयात अविभाजित होने से प्रार्थीगण अपने हक हिस्से का समुचित तौर विकास नहीं करवा पा रहे हैं तथा विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 प्रार्थीगण के पिता व पति श्रीलाल के निधन दिनांक 04.06.2022 से ही मनमकसूद तरीके से चुंकि जो आराजीयात मुख्य मार्ग के नजदीक आ रही हैं जिस कारण इन आराजीयात की कीमत बढ जाने के कारण आराजीयात के हक हिस्से विशेष पर अनाधिकार तौर पर और जबरन कब्जा कर बिना विभाजन कराये पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहें हैं प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 से निवेदन किया कि अपनी आराजीयात का पूर्व पैतृक बंटवारें एवं कब्जे अनुसार सहमतिपूर्वक विभाजन करावें लेकिन विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 विभाजन नहीं करवाना [illegible] तथा बिना विभाजन कराये हक हिस्से विशेष पर जो मुख्य मार्ग से लगती हुई भूमि पर [illegible] पर जबरन प्रार्थीगण को अपने कब्जे वाली भूमि से बेकब्जा कर उसे अपना हिस्सा बता निर्माण [illegible] करवाना चाहते हैं जहां निर्माण कार्य करवाने पर आमादा हैं अर्थात् वहां जमीन की सफाई [illegible] अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य करवाना चाहते है जबकि उस भू—भाग पर हम प्रार्थीगण का कब्जा पैतृक बंटवारे अनुसार चला आ रहा हैं मे अनाधिकार प्रवेश कर अविधिक प्रक्रिया द्वारा राजनैतिक संरक्षण से अपने कब्जे में लेकर

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:45:55 IST
Reason: SelfAttested

पक्का निर्माण कार्य करवाने पर आमादा हो रहे हैं। तथा हक हिस्से विशेष को उंचे दामो पर विक्रय, हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द करना चाहते हैं जबकि आराजीयात अविभाजित हो प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 1 से लगायत 4 के कब्जे एवं उपयोग उपभोग की हैं इस कारण प्रार्थीगण को विवादित आराजीयात का जैर बहस का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कराये जाने तथा बाद विभाजन आराजीयातों में से प्रार्थीगण के हक हिस्से विशेष पर विपक्षीगण द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कराये जाने तथा आराजीयात को किसी अन्य को विक्रय, हस्तान्तरित नहीं करने की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक होकर विधि सम्मत हैं साथ ही बाद विभाजन प्रार्थीगण के हक हिस्से आई आराजीयात का प्रार्थीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कराया जाना भी विधि सम्वत होकर आवश्यक है जिसके प्रार्थीगण अधिकारी होने से प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत कर रखा हैं।

यह कि प्रार्थीगण विपक्षीगण के इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजीयात पर विपक्षीगण प्रार्थीगण को किसी प्रकार के निर्माण कार्य नहीं करे, बेदखली नहीं करें, न ही इन पर अपना अवैध कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य करें एवं प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग, कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें एवं मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

यह कि प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे हैं और यदि दौराने वाद विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात मे से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर देते है तो पक्षकारान के मध्य कई प्रकार की मुकदमेबाजी बढ जायेगी और प्रार्थीगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन अर्थ में किया जाना सम्भव नहीं होगा और प्रार्थीण अपने कब्जे काश्त से वंचित हो जायेंगे। जिस कारण न्यायहित में वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक होकर विधि सम्वत् है।

अन्त में प्रार्थना की कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षीगण के वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर पारित फरमाई जावें कि विपक्षीगण विवादित आराजीयात के हिस्से विशेष पर किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावें तथा आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बक्षीस, विक्रय, हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द नहीं करें। साथ ही प्रार्थीगण के इन आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा न तो विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 तक स्वयं उत्पन्न करें, न किसी अन्य से करावें तथा विपक्षीगण विवादित आराजीयात की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

हमनें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से उक्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रार्थी ने बहस एकतरफा हेतु निवेदन किया। बहस एकतरफा सुनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा मौजा मुंगाना तहसील कपासन में स्थित आराजी संख्या 1162, 1365, 1367, 1368, 1371, 1379, 1462, 1463, 1468, 1469, 1472, 3157, 3297, 3298, 3299, 3455, 3628, 3631, 3632, 4392, 4444 कुल किता 21 कुल क्षैत्रफल 7.14 है0 हैं जिसमें प्रार्थीगण का 1/15–1/15 हक हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है। साथ ही विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 तक का 1/5–1/5 हक हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के मध्य आराजीयात का विभाजन नहीं हो रखा है। जिस पर अप्रार्थीगण हक हिस्सा विशेष पर अनाधिकार तौर पर व जबरन कब्जा कर बिना विभाजन कराये पक्का निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है। तथा प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से तक की आराजीयात का उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचा रहें है। व अन्त में निवेदन किया कि आराजीयात के हिस्से विशेष पर किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य न तो स्वयं करें, ना ही किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य न तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावें तथा आराजीयात को किसी अन्य को रहन, बक्षीस, विक्रय, हस्तान्तरित एवं खुर्द बुर्द नहीं करें। साथ ही प्रार्थीगण के इन आराजीयात के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा न तो विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 तक स्वयं उत्पन्न करें, न किसी अन्य से करावें तथा विपक्षीगण विवादित आराजीयात की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:45:55 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का अवलोकन किया। दस्तावेजात नकल जमाबन्दी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र का अवलोकन किया। मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिये निम्न बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रथम दृष्ट्या मामला– हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली मे प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवंत् 2074–77 में खाता संख्या 879 की आराजी संख्या 1162, 1365, 1367, 1368, 1371, 1379, 1462, 1463, 1468, 1469, 1472, 3157, 3297, 3298, 3299, 3455, 3628, 3631, 3632, 4392, 4444 कुल किता 21 कुल क्षैत्रफल 7.14 है0 में प्रार्थीगण 1/15–1/15 हक हिस्से से खातेदार काश्तकार की हैसियत से दर्ज है। प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य है कि प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार है, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये यह साक्ष्य का विषय है। वाद पत्र एवं प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान हक हिस्सा अनुरूप कानूनन मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बटवाडा करवाना चाहता है। प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपने हक हिस्से की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है, साथ ही आराजी विशेष पर पक्का निर्माण करने पर आमादा है। समस्त पत्रावली के अवलोकन से हमारा स्पष्ट अभिमत है कि दर्ज अभिलिखित सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

सुविधा का सन्तुलन– प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में बताया गया कि अप्रार्थीगण बिना विधिवत विभाजन के निर्माण कार्य करने पर आमादा है, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यह सिद्ध नहीं करा पाए है कि अप्रार्थीगण निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण को असुविधा प्रदान कर रहे है। ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि उभयपक्ष विवादित आराजीयात के संयुक्त खातेदार है। खातेदार अपने हक हिस्से की आराजीयात के उपयोग उपभोग हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

अपूरणीय क्षति– जहां तक अपूरणीय क्षति का प्रश्न है, विवादित आराजीयात उभयपक्ष के नाम सहखातेदारी से दर्ज अभिलिखित है। प्रार्थीगण एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण के कथनानुसार अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात में उसके हक हिस्से से जबरन बेदखल कर निर्माण कार्य करना चाहते है, जिसमें प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी तथा इसके प्रमाण में छायाचित्र व दस्तावेज प्रस्तुत किये जिसके अवलोकन से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति, नुकसान, निर्माण कार्य होना जाहिर नहीं पाया गया। अतः अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र साबित कराये जाने में असफल रहे है। चूंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त सामलाती आराजी है जिस पर प्रत्येक खातेदार का खातेदारी अधिकारों में उपयोग व उपभोग का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक खातेदार अपने अपने हक हिस्से तक खातेदारी अधिकारो का उपयोग/उपभोग कर सकता है। सामलाती भूमि होने से बिना बंटवारे में खातेदारों का हक हिस्सा निश्चित नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किये जाने का औचित्य स्पष्ट नहीं होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सारहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद आवश्यक कार्यवाही के मूल वाद संख्या 27/2023 अनवान भूपेन्द्र बनाम चान्दी वगैरह के साथ हम किता रहे। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 06.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अर्चना बुगालिया)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

Signature Not Verified

Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:45:55 IST
Reason: SelfAttested